न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन
पीठासीन अधिकारी–श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 25/2025
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2025/37

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
शिवराम चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन), जिला रसद कार्यालय, डीडवाना–कुचमान।		श्री मोहम्मद रफीक पुत्र मोहम्मद शफी, फर्म रफीक बिरयानी, तेलीरोड़ लाडनूं।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए. सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तसुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्।

उपस्थितः–
1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक श्री ओमेन्द्र कुमार।
2. अप्रार्थी की तरफ से वकील श्री हरफुल राव।

–:आदेश:– दिनांक : 17.03.2025

प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी डीडवाना द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप्त में निम्न प्रकार हैः–

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्रांक एफ. 65 (1) खा़वि/एलपीजी/2024 दिनांक 10.09.2024 की पालना में घरेलू गैस के अवैध भण्डारण/व्यापार/दुरूपयोग के विरूद्ध अभियान के तहत दिनांक 19.02.2025 को श्री शिवराम चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक, मकराना, श्री ओमेन्द्र कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक, कुचामन, सुश्री मनीषा गुर्जर, परबतसर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा फर्म रफीक बिरयानी, तेली रोड़ लाडनूं पर आकस्मिक जाँच हेतु पहुंचे। मौके पर श्री मोहम्मद रफीक पुत्र मोहम्मद शफी निवासी लाडनूं उपसिथत मिलें, जिन्होनें स्वयं को प्रबन्धक होना बताया। श्री मोहम्मद रफीक पुत्र मोहम्मद शफी द्वारा फर्म रफीक बिरयानी, तेली रोड़, लाडनूं का निरीक्षण करवाया तथा मौके पर घरेलू गैस का उपयोग खाना पकाने का कार्य किया जाना बताया है। मैसर्स फर्म रफीक बिरयानी, तेली रोड़, लाडनूं की तलाशी लेने पर 01 घरेलू गैस के सिलेण्डर मौके पर पाये गये। मौके पर पाये गये घरेलू गैस सिलेण्डर, जो BPCL कम्पनी के [illegible] श्री मोहम्मद रफीक पुत्र मोहम्मद शफी से घरेलू गैस के भण्डारण एवं व्यावसायिक उपयोग से सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र [illegible] उनके पास घरेलू गैस के भण्डारण व व्यावसायिक उपयोग से सम्बन्धित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र नहीं होना स्वीकार किया। श्री मोहम्मद रफीक पुत्र मोहम्मद शफी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.03.21 12:34:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर भण्डारित/दुरूपयोग किये गये 01 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किये गये। जब्त किये गये सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	नाम कम्पनी	एस.आर.नं.	भरे सिलेण्डर का वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	शुद्ध गैस (कॉलम 4–5)
1	BPCL	754901–S	20.6	15.6	5 किलो

उपरोक्त 01 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस 5.0 किग्रा मौके पर जब्त सरकार कर प्रबन्धक श्री अदरिश खान पुत्र श्री मुराद खान प्रतिनिधि मैसर्स गैस सर्विस लाडनूं के प्रतिनिधि की सुपुर्दगी में दिय गये।

इस प्रकार श्री मोहम्मद रफीक पुत्र मोहम्मद शफी का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, – 2000 के क्लॉज 3 (c), 7(1)(a),(b),(c) का स्पष्ट उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में जब्तसुदा 01 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस 5.0 किग्रा को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (confiscaion) के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से वकील श्री हरफुल राव ने वकालतनामा व जवाब पेश किया।

वकील अप्रार्थी ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि मैं रफीक बिरयानी के नाम से तेली रोड लाडनूं बिरयानी बनाने का कार्य करता हूं तथा उक्त दुकानपर मैने गैस ऐजेन्सी से गैस भरवाने हेतु अपने घर से एक गैस सिलेण्डर लाकर रखा था जिसका मेरे द्वारा अपनी दुकान में कोई उपयोग व उपभोग नहीं किया जा रहा था, उसी दरम्यान दिनांक 27.02.2025 को श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय डीडवाना–कुचामन की टीम ने यह कहते हुए की यह सिलेण्डर व्यवसायिक के रूप में काम में लिया जा रहा है। ऐसा कहते हुए मेरे उक्त एक गैस सिलेण्डर जब्त कर लिया गया। जबकि मेरे उक्त सिलेण्डर दुकान के एक साईड में पडा हुआ था, जिसका व्यवसायिक के रूप में कोई उपयोग में नहीं लिया जा रहा था। इसके बावजुद भी मुझे गलत तरीके से फंसाते हुए उक्त गैस सिलेण्डर को उपयोग में लेने का झुठा आरोप लगाते हुये यह परिवाद पेश किया गया है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि श्रीमान् नरमी का रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण फरमावें।

बहस सुनी गई। प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि श्री मोहम्मद रफीक पुत्र मोहम्मद शफी द्वारा घरेलु गैस का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। इनके पास घरेलु गैस के भण्डारण व व्यापारिक उपयोग के संबंध में किसी प्रकार का अनुज्ञा पत्र व [illegible] गये। इस पर मौके पर पाये गये घरेलु गैस सिलेण्डर कुल 01 को [illegible] हुए जब्त सरकार किया जाकर कब्जे में लिये गये। जब्त [illegible] मैसर्स गैस सर्विस लाडनूं के प्रतिनिधि श्री अदरिश [illegible] सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द कर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.03.21 12:34:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन सत्यमेव जयते

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर 01 घरेलु गैस सिलेण्डर पाए गए। जांच के समय श्री मोहम्मद रफीक पुत्र मोहम्मद शफी के पास किसी भी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र नहीं होना स्वीकार किया। मौके पर घरेलु गैस सिलेण्डरों का उपयोग व्यापारिक उपयोग में किया जा रहा था। दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र पेश नहीं किए जाने पर घरेलु गैस सिलेण्डर को अवैध मानते हुए जप्त सरकार लिये गये। घरेलू गैस सिलेण्डरों के भण्डारण एवं उपयोग के लिए वैध अनुज्ञप्ति होना आवश्यक है। दौराने जांच मौके पर अथवा न्यायालय हाजा में ऐसी कोई अनुज्ञप्ति रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार प्रकरण में मौके पर की गई कार्यवाही सही प्रतीत होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार की जाती है। प्रकरण में 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस का समपहरण (Confisacation) किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण में जब्तसुदा 01 घेरलू गैस सिलेण्डर मय गैस का नियमानुसार कीमतन निरतारण किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं निरस्तारण से प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, डीडवाना–कुचामन को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक **17.03.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सेन, IAS)
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.03.21 12:34:06 IST
Reason: SelfAttested